[2026:RJ-JD:10748]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 10941/2025

Jitendra Singh Urf Jeetu Banna S/o Bhanwer Singh Chouhan, Aged About 29 Years, R/o Shadi,police Station Sadas,district Chittorgarh ,rajasthan (Lodged in District Jail, Chittorgarh)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhagirath Ray Bishnoi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना कनेरा, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 307, 353 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश पारित कर खारिज किया गया था।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 04.04.2022 व 05.04.2022 की मध्यरात्रि में वह तथा अनिल पुत्र सहीराम विश्नोई कोचवा तिराहे से डोडा चूरा से भरी बिना नंबरी पिकअप उदयलाल गुर्जर से प्राप्त कर रवाना हुए थे और उस समय उसने अपने मोबाईल नंबर से वाट्सएप अकाउंट बनाकर उपयोग किया था, जिससे वह उसके अन्य दोस्तों से वाट्सएप पर वार्ता करता था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.03.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में सहअभियुक्त सुनील व चेतनराम से मादक पदार्थ जब्त हुआ है। सहअभियुक्तगण चेतनराम, सुनील व अनिल कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 13713/2023, 1222/2025 व 6838/2025 आदेश दिनांक क्रमशः 16.05.2024, 28.01.2025 व 30.05.2024 के माध्यम से समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के समान प्रकृति के सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं रहा है, वह दिनांक 19.03.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, 42 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र सिंह उर्फ जितु बन्ना पिता भंवर सिंह चौहान** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/03 (JD)